मुकुल गोयल,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र सं0 - 43 /2021
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ-226010
दिनांकः दिसम्बर 01,2021

विषयः- क्रिमिनल मिस बेल एप्लीकेशन संख्या-46998/2020 जुनैद बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 09.07.2021 के अनुपालन में निर्गत डीजी परिपत्र संख्या- 31/2021 दिनांकित 28.08.2021 तथा डीजी परिपत्र संख्या- 39/2021 दिनांकित 06.10.2021 का अक्षरशः अनुपालन किये जाने के संबंध में।

प्रिय महोदय/महोदया,

कृपया क्रिमिनल मिस बेल एप्लीकेशन संख्या-46998/2020 जुनैद बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 09.07.2021 के अनुपालन हेतु इस मुख्यालय द्वारा निर्गत डीजी-परिपत्र संख्या 31/2021 दिनांक 28.08.2021 तथा डीजी परिपत्र संख्या- 39/2021 दिनांकित 06.10.2021 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत निर्देशों का तत्काल अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

2- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पोक्सो एक्ट के जमानत प्रार्थना पत्रों की सुनवाई के दौरान यह तथ्य मा0 न्यायालय के संज्ञान में आया कि जनपद स्तर पर डीजी-परिपत्र संख्या 31/2021 दिनांक 28.08.2021 तथा डीजी परिपत्र संख्या- 39/2021 दिनांकित 06.10.2021 द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिससे मा0 उच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल मिस बेल एप्लीकेशन संख्या-46998/2020 जुनैद बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 09.07.2021 की स्पष्ट अवहेलना हो रही है, जिस पर मा0 न्यायालय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए निम्नवत टिप्पणी की गई है -

" This Court finds that in all cases pertaining to the POCSO Act read with POCSO Rules, the directions issued by this Court in Junaid (supra) have not been complied with by the local police as well as the CWC of the concerned district. Though in all fairness it appears that Director General of Police, State of U.P., has issued specific directions to his forces to comply with the judgement rendered in Junaid (supra).

However, the directions of the Director General of Police, State of U.P., are being observed more in breach. The police is a disciplined force. In case police officers fail to obey the lawful command of their superior here like D.G.P., they are liable to be proceeded against as per law. It is a matter of grave concern for the Court that the disobedience of orders passed by this Court in Junaid (supra) has effectively frustrated the legislative intent of enacting the POCSO Act read with POCSO Rules.

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित अनेक आदेशों में लगातार उपरोक्त टिप्पणी की गई है, जिससे स्पष्ट है कि मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन हेतु निर्गत डीजी-परिपत्र संख्या- 31/2021 दिनांक 28.08.2021 तथा डीजी परिपत्र संख्या- 39/2021 दिनांकित 06.10.2021 का अनुपालन जनपद स्तर पर नहीं किया जा रहा है तथा जनपदीय, परिक्षेत्रीय एवं जोनल पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण डीजी परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने में कोई रूचि नही ली जा रही है, यह स्थिति स्वीकार योग्य नहीं है। मा0 न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन न होने पर दिन प्रतिदिन मा0 न्यायालय के समक्ष असहज स्थिति उत्पन्न हो रहीं है।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा डीजी परिपत्रों का अनुपालन न किये जाने की टिप्पणी के साथ-साथ स्थानीय पुलिस/एस0जे0पी0यू0 के कर्तव्यों को निम्नवत इंगित किया गया है-

"A. Functions of local police/SJPU:

I. To inform the CWC about the offence within 24 hours of its registration.

II. To serve the notice of bail application upon the child and intimate the date of hearing of the bail application to it.

III. Apprise the child of its rights to information and services under the POCSO Act, 2012 and POCSO Rules, 2020 and as detailed in Form A.

IV. Inform the CWC about the need of the child for free legal aid.

V. Produce the child before CWC when required under law. Prepare and submit reports as provided under the POCSO Act, 2012 read with POCSO Rules, 2020 including one Form A and in Form B to the CWC.

VI. To provide instructions to the Government Advocate in the High Court and DGC (Criminal) in the trial courts before hearing of the bail application. These will also include the report of service of bail application upon the victim, copies of Form B and information given to CWC, and report of information given to the child regarding entitlements under the POCSO Act, 2012 read with POCSO Rules, 2020 as detailed in Form A."

उपरोक्त के क्रम में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि डीजी-परिपत्र संख्या- 31/2021 दिनांक 28.08.2021 तथा डीजी परिपत्र संख्या- 39/2021 दिनांकित 06.10.2021 द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (S.O.P) का भली भाँति अध्ययन करलें तथा उसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।

समस्त जोनल, परिक्षेत्रीय तथा जनपदीय पर्यवेक्षण अधिकारियों को विशिष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि डीजी-परिपत्र संख्या- 31/2021 दिनांक 28.08.2021 तथा डीजी परिपत्र संख्या- 39/2021 दिनांकित 06.10.2021 के माध्यम से निर्गत किये गये निर्देशों के अनुपालन की नियमित समीक्षा करें। यदि भविष्य में निर्देशों के अनुपालन संबंधी कोई दृष्टांत संज्ञान में आता है तो संबंधित पर्यवेक्षण अधिकारियों का भी दायित्व निर्धारित किया जायेगा।

प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्देशों के अनुपालन से संबंधित है, अतः समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, जोन का व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण अपेक्षित है।

भवदीय,

(मुकुल गोयल)

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/वाराणसी/कानपुर नगर/गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0।
5. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
6. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद, उ0प्र0।